बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर
"सुन्दरवन," बरारी रोड, भागलपुर–812003
दूरभाष सं0:– 0641.2611818 ई0.मेल:–cfbhagalpur-bih@gov.in / cfbgpr@gmail.com

(10)

30/7/2021

पत्रांक :– 448 दिनांक- 19-7-2021

प्रेषक,

अभय कुमार,
वन संरक्षक,
भागलपुर अंचल, भागलपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
प्राप्ति संख्या 748
दिनांक 30/07/2021
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

विषय :– श्री सुमित कुमार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत नासोपुर मौजा के खाता सं0– 251, प्लॉट संख्या– 372, थाना–सुलतानगंज में NH-80 (अकबरनगर–सुलतानगंज) पथ के किनारे BPCL का Retail Out Let स्थापित करने के कम में पहुँच पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् 0.021 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक– FC-154/2020-941 दिनांक– 15.10.2020 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल का पत्रांक– 517 दिनांक– 28.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा विषयाधीन परियोजना में वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर से BPCL का Retail Out Let स्थापित करने के कम में पहुँच पथ के निर्माण हेतु कुल– 0.021 हे0 वन भूमि की अपयोजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित Retail Out Let से अगले Retail Out Let की दोनों की तरफ की दूरी 3 कि0मी0 है।

प्रस्ताव में अद्योहस्ताक्षरी के स्तर से भाग– III में आवश्यक प्रविष्टि करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव की पाँच प्रतियाँ मूल रूप में इस पत्र से संलग्न कर भेजा जाता है। प्रस्तावित स्थल पर स्थित पेड़/पौधों के फोटोग्राफ के साथ एक जांच प्रतिवेदन अलग से संलग्न है। प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा FRA – 2006 का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी, भागलपुर से निर्गत होने के उपरान्त भवदीय के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुरोध है कि एतद के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन
19/07/21
वन संरक्षक
भागलपुर अंचल, भागलपुर

प्रस्ताव की पाँच प्रतियाँ मूल रुप मे